X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपनी संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन को बेहतर बनाया है तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और भी मजबूत किया है। राज्य सरकारों के लिए प्रभावी नक़दी प्रबंधन तथा विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के प्रबंधन हेतु भी प्रयास किए गए। अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ और सक्षम वित्तीय क्षेत्र तैयार करने के लिए विधिक ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विधायी पहलें / संशोधन भी किए गए।

X.1 इस अध्याय में वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ अनुसंधान, सांख्यिकी, संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बैंकिंग सेवाओं, विदेशी मुद्रा प्रबंध और वित्तीय प्रणाली के लिए विधिक ढांचे संबंधी क्षेत्रों में हुई अन्य प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा की गई है। यह अध्याय इन कार्यक्षेत्रों में वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित कार्य-योजना की रूपरेखा भी बनाता है। भाग-2 रिज़र्व बैंक द्वारा इसकी संचार कार्यनीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उठाए गए प्रमुख कदमों को प्रस्तुत करता है। भाग-3 कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई की गतिविधियों के बारे में बताता है। भाग-4 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की गई। भाग-5 सरकार के बैंक तथा बैंकों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। भाग-6 सुरक्षा, चलनिधि तथा प्रतिफलों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन के संचालन की समीक्षा करता है। भाग-7 में सांविधिक रिपोर्टों तथा महत्वपूर्ण अनुसंधानपरक प्रकाशनों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में उल्लेख करता है। भाग-8 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग से संबंधित गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भाग-9 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.2 रिज़र्व बैंक के संचार विभाग (डीओसी) ने पारदर्शिता, समयबद्धता तथा विश्वसनीयता के समन्वय द्वारा जनता के साथ दोतरफा संप्रेषण पर ज़ोर दिया है। इन रणनीतिक लक्ष्यों ने विभिन्न साधनों तथा माध्यमों द्वारा नीतिगत गतिविधियों/ की गई महत्वपूर्ण पहलों और उनके औचित्य का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ इन पर निरंतर फीडबैक प्राप्त करने की भी कोशिश की है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन स्थिति

वेबसाइट

X.3 रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया गया और सर्च फंक्शन को अधिक सक्षम बनाया गया ताकि उपयोगकर्ता आसानी से वेबसाइट तक पहुँच सकें। वेबसाइट पर अनुसंधान संबंधी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित किया गया तथा इन्हें एक 'अनुसंधान' टैब के अंतर्गत रखा गया। मेल बॉक्स स्पष्टीकरण सेवाओं को भी तर्कसंगत बनाया गया। एंड्रॉएड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध रिज़र्व बैंक की एप को 30 जून 2019 तक प्ले स्टोर से 1,90,580 बार डाउनलोड किया गया और एप स्टोर से 19,550 बार डाउनलोड किया गया। रिज़र्व बैंक के ट्विटर खाते के 430,000 फॉलोवर्स हैं और इसके यू ट्यूब चैनल के उक्त दिनांक तक 30,000 सब्सक्राइबर्स रहे हैं।

मौद्रिक नीति संचरण

X.4 अक्तूबर 2016 से लागू नए मौद्रिक नीति ढांचे के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के द्विमासिक संकल्पों को प्रेस कान्फ्रेंस के उपरांत प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जिसे बाद में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और बिजनेस टेलीविज़न चैनलों पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ यू ट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। वर्ष के दौरान ट्विटर पर तीन लाइव प्रेस कान्फ्रेंस भी प्रसारित की गई।

नीतिगत घोषणाओं के दिन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सामग्री (फीड्स) और प्रतिलेखन (ट्रांस्क्रिप्ट्स) को अपलोड करने के साथ-साथ अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों के साथ टेलीकान्फ्रेंस भी की जाती है। एमपीसी की बैठकों के कार्यवृत्तों को भी इसकी प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल में प्रावधान किया गया है।

मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम)

X.5 दिनांक 11 अगस्त 2017 से प्रारंभ किए गए एमएसएम समसामयिक और प्रासंगिक विषयों पर संक्षिप्त रिपोर्टों और विश्लेषणों के रूप में होते हैं जिनका उपयोग जन-सामान्य द्वारा किया जा सकता है। जून 2018 तक 12 एमएसएम प्रकाशित किए गए थे। चालू वर्ष में, जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 तक 7 एमएसएम प्रकाशित किए गए थे।

क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशाला

X.6 वर्ष के दौरान, संचार विभाग ने देश भर में अपने जागरूकता कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय मीडिया के लिए अहमदाबाद, कोलकाता, रांची और भोपाल में चार कार्यशालाएं आयोजित कीं। केंद्रीय बैंकिंग कार्यप्रणाली पर आयोजित इन कार्यशालाओं के चर्चापरक सत्रों में मौद्रिक नीति, बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, ग्राहक शिक्षण और संरक्षण, मुद्रा प्रबंध, भुगतान और निपटान प्रणालियां, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की रूपरेखा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई)' नामक रिज़र्व बैंक का डेटा वेयरहाउस, विदेशी मुद्रा प्रबंध, प्रेस प्रकाशनी और मीडिया संबंध तथा इनसे जुड़े स्थानीय मुद्दे जैसे विषयों को शामिल किया गया।

जन जागरूकता अभियान

X.7 वर्ष 2018-19 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमों और कार्यप्रणालियों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए *'आरबीआई कहता है'* नाम से एक बहु-मीडिया बहुभाषी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई (बॉक्स X.1)।

आरबीआई संग्रहालय

X.8 आरबीआई के 6, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता स्थित संग्रहालय को 11 मार्च 2019 को जनता के लिए खोल दिया गया। फलस्वरूप, इसमें भ्रमण करने के लिए पहले की

बॉक्स X.1
जन जागरूकता अभियान

रिज़र्व बैंक का जन जागरूकता अभियान 2017 में शुरू किया गया तथा 2018 में इसमें तेजी से वृद्धि हुई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, एशियाई खेल, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), प्रो-कबड्डी लीग, प्रो-बैंडमिंटन लीग तथा इंडिया-न्यूजीलैंड एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, सीमित देयता तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुगमता पर विज्ञापन दिए गए।

बीएसबीडीए पर एक फिल्म बनायी गई जो इस प्रकार का खाता खोलने पर न्यूनतम शेष की आवश्यकता जरूरी नहीं होने के बारे में बताती है। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर एक फिल्म ऑनलाइन लेन-देन करते समय कार्ड और पिन संबंधी जानकारी साझा न करने के संबंध में जनता को जागरूक करती है। सीमित देयता पर दूसरी फिल्म कार्ड संबंधी धोखाधड़ी होने की घटना में उपलब्ध सहायता पर प्रकाश डालती है। 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुगमता' पर फिल्म वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वारस्थ बैंकिंग जैसी सुविधाओं के बारे में बताती है। इन फिल्मों को ऐसे क्रिकेटर और बैडमिंटन खिलाड़ी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी हैं, के माध्यम से मीडिया विज्ञापनों में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

जन जागरूकता अभियान की एक विशिष्ट विशेषता मिस्ड कॉल सुविधा होना है। कॉल सेंटर से संपर्क न होने अथवा इसकी अति व्यस्तता की स्थिति में नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल देने पर कॉलर एक प्री-रिकॉर्डेड इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से सूचना प्राप्त करेगा। वे क्षेत्र जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां मोबाइल सब्सक्राइबर्स अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में संदेश प्राप्त करते हैं (सारणी 1)।

(जारी...)

सारणी 1: अभियान का विस्तार (वर्ष के दौरान भेजे गए संदेश)

(मिलियन में)

ब्योरा	एसएमएस 1 (14 जून - 9 जुलाई 2018)	एसएमएस 2 (1-18 अगस्त 2018)	एसएमएस 3 (30 अगस्त - 13 सितंबर 2018)	वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुगमता (17 फरवरी - 19 मार्च 2019)	बैंकिंग लोकपाल योजना (10-28 जून 2019)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
भेजे गए कुल संदेश	553.57	575.50	606	कोई एसएमएस	682.31	2,417.38
पहुंचे कुल संदेश	408.79	420.84	425.66	प्रेषित नहीं किया गया	412.63	1,667.92
प्राप्त कुल मिस्ड कॉल	5.22	3.31	2.58	0.25	2.71	14.07
कुल सफल कॉल बैक	3.69	2.32	1.79	0.15	1.14	9.09

- : कोई एसएमएस नहीं भेजा गया।

1. **एसएमएस 1:** क्या आपके बैंक खाते में फर्जी लेनदेन हुए हैं ? अपनी हानि को सीमित करें। तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।
2. **एसएमएस 2:** क्या आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करते हैं ? एसएमएस/ईमेल अलर्ट के लिए स्वयं को रजिस्टर करें तथा किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर अपने बैंक को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।
3. **एसएमएस 3:** क्या आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं ? केवल https; वाली साइट का उपयोग करें; फ्री नेटवर्क पर पर बैंकिंग करने से बचे; पासवर्ड /पिन को नियमित रूप से बदलते रहे तथा किसी को साझा न करें। अधिक जानकारी के लिए नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।
4. **एसएमएस 4:** क्या बैंक द्वारा एक महीने के भीतर बैंकिंग सेवा में गड़बड़ी की शिकायत का समाधान किया गया है ? सहायता के लिए बैंकिंग लोकपाल / bainkingombudsman@rbi.org.in पर जाएं। नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।

स्रोत : आरबीआई।

तुलना में जनता की रुचि काफी अधिक बढ़ी है (चार्ट X.1)। यह संग्रहालय[1] मुद्रा, सोना तथा रिज़र्व बैंक की स्थापना से संबंधित रोचक जानकारी कलाकृतियों तथा इंटरैक्टिव प्रदर्शनी के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत करता है। संग्रहालय के मेजेनाइन फ्लोर पर एक इंटरैक्टिव गेम ज़ोन है, जिसमें छोटे बच्चों को 'साँप सीढ़ी' तथा 'कैरम' जैसे सरल खेलों के माध्यम से वित्तीय जानकारी प्रदान की जाती है।

चार्ट X.1 : आरबीआई संग्रहालय में आगंतुक

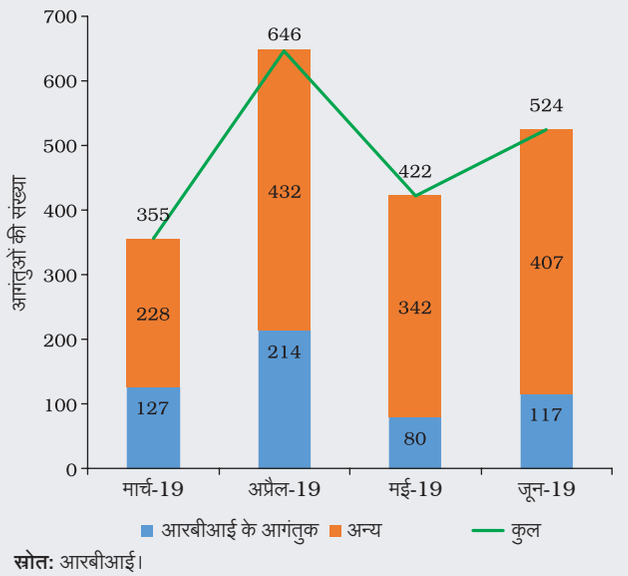

स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.9 संचार विभाग पिछले वर्ष में कवर न किए जा सके क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरीय केन्द्रों में महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग विषयों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना जारी रखेगा। वेबसाइट की कुछ विशेषताओं में आवश्यक संशोधन करके तथा कुछ नई विशेषताएं जोड़कर इसे और अधिक सूचनाप्रद तथा सुगम नैविगेशन वाली बनाया जाएगा।

X.10 वर्ष 2019-20 के दौरान 360 डिग्री मास मीडिया जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए सार्वजनिक जागरूकता अभियान को आगे ले जाने की आशा की जा रही है। इसके अलावा, प्रत्येक अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार

[1] आरबीआई संग्रहालय की वेबसाइट (https://therbimuseum.rbi.org.in)

सुनिश्चित करने, इसकी अवधि को बढ़ाने तथा युवाओं से जुड़ने के लिए ट्विटर तथा फेसबुक जैसे लोकप्रिय सामाजिक मीडिया माध्यमों का दो तरफा संचार के लिए किया।

X.11 वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसे टाउन हाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें अर्थ जगत से जुड़े संपादक शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलते हैं। रिज़र्व बैंक की संचार नीति को भी वर्ष के दौरान संशोधित किया जाएगा।

3. कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई

X.12 फरवरी 2016 में स्थापित कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) को रिज़र्व बैंक के विभिन्न वर्टिकलों के लिए अनुसंधान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वर्ष के दौरान, एसआरयू ने प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों का अध्ययन किया और रिज़र्व बैंक से संबंधित विभिन्न मुद्दो पर अनुसंधान किया तथा इनमें पाई गई कमियों को शीर्ष प्रबंधन के सम्मुख रखा। इस इकाई के अनुसंधानकर्ताओं ने अनुसंधान के दौरान पाई गई कमियों को नियमित रूप से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत किया तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.13 एसआरयू मौद्रिक नीति निर्माण कार्यनीति (एमपीएस) संबंधी बैठकों में द्विमासिक आर्थिक संकेतक नियमित रूप से प्रस्तुत करती है। इस संकेतक में भारत के लिए एक संपाती (कोइंसीडेंट) आर्थिक संकेतक शामिल था और इसने वित्तीय बाज़ारों और बाह्य क्षेत्रों से संबंधित इनपुट उपलब्ध कराया। इस इकाई ने विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालिक अनुसंधान की शुरुआत भी की जिसे रिज़र्व बैंक कि वार्षिक रिपोर्ट तथा मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) में बॉक्स मद के रूप में प्रकाशित किया गया था। इनमें से कुछ एमएसएम थे 'भारत के चालू खाता घाटे, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे पर कच्चे तेल के कीमत आघात का प्रभाव' और 'ऑटोमोबाइल बिक्री को कौन परिचालित करता है ? यह क्रेडिट नहीं है'।

X.14 एसआरयू ने केंद्रीय बजट, मुद्रास्फीति पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभाव, बाह्य क्षेत्रों की संवेदनशीलता, व्यापार और विदेशी निवेश पर विपरीत वैश्विक स्थितियों का प्रभाव, फसल की कीमतों पर कीमत-अंतराल का भुगतान, हाउसहोल्डों द्वारा आस्ति संचयन की गतिकी, वित्तीय बाज़ारों पर मुद्रास्फीति लक्ष्य का प्रभाव, जीडीपी के तात्कालिक अनुमान तथा उच्च बारंबारता वाले डाटा का उपयोग करते हुए खाद्य मुद्रास्फीति पर नज़र रखने जैसे मुद्दों पर विभिन्न अल्पकालिक योजनाएं तैयार की। इन अनसुंधान अध्ययनों में पाई गई कमियों को नियमित रूप से शीर्ष प्रबंध-तंत्र को प्रस्तुत किया गया। इनमें से कुछ अध्ययनों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2018 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वार्षिक सम्मेलन में 'फार्म सपोर्ट एंड मार्केट डिस्टॉर्शन' शीर्षक पर्चों को प्रस्तुत किया गया और जून 2019 में एशिया और पैसिफिक अर्थव्यवस्था पर सुजौ तथा चीन में आयोजित एडीबी सेमिनार में 'डू हाउसहोल्ड केयर अबाउट कैश?' पर्चा प्रस्तुत किया गया।

X.15 इस इकाई के अनुसंधानकर्ता अपने द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रतिष्ठित शैक्षणिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2019 में *मैक्रोइकनॉमिक डाइनैमिक्स* में 'टैक्स पॉलिसी एंड फूड सिक्योरिटी' शीर्षक लेख प्रकाशित किया गया। इसके अलावा ऐसे भी लेख हैं जो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु समीक्षाधीन हैं, जैसे 'कैश एंड द इकॉनमी' और 'दिविसा मॉनेटरी मॉडल ऑफ एक्चेंज रेट डिटरमिनेशन'।

X.16 अनुसंधान गतिविधियां करने और इनके व्यापक प्रसार के लिए एसआरयू अन्य विभागों/समूहों के साथ समन्वय कर रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसआरयू के अधिकारियों ने बासेल III के कार्यान्वयन और परिचालनगत जोखिम प्रतिरूपण के संबंध में अंतर-विभागीय कार्य समूह के अनुसंधान (आईडीडबल्यूजी) में सक्रिय रूप से सहयोग/योगदान दिया। वे भारत के लिए वित्तीय संवेदनशीलता सूचकांक से संबंधित अनुसंधान कार्य से भी जुड़े हुए थे।

X.17 अनुसंधान क्षमता को ओर अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से एसआरयू ने अगस्त 2018 में अनुसंधान उन्मुख कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें एसआरयू के अनुसंधानकर्ताओं ने विदेश के ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों के साथ मिलकर अपने द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ दीं। एसआरयू जनवरी 2019 से एक मासिक सेमिनार श्रृंखला भी आयोजित कर रहा है जिसमें रिज़र्व बैंक के लिए प्रासंगिक विषयों पर लेख प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से विदेशी शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया। इस श्रृंखला में अब तक नए कीनेसियन

मॉडल, वित्तीय नेटवर्क, प्लांट स्तरीय उत्पादकता, क्रेडिट मिसऐलकेशन एंड उत्पादन हानि आदि विषयों को शामिल किया गया। इस तरह के सभी सेमिनारों से संबंधित फीडबैक रिपोर्टों को मौद्रिक नीति निर्माण के उद्देश्य शीर्ष प्रबंधन को भी प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में, रिज़र्व बैंक के अंदर हुई कुछ अनुसंधान गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए एसआरयू ने एक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत, एसआरयू के अधिकारियों ने जून 2019 के दौरान एक विश्वविद्यालय का दौरा किया तथा युवा विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं से वैचारिक आदान-प्रदान करने के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। अनुसंधान सहयोग को अधिक गहन बनाने तथा देश के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एसआरयू ने कैफरल के साथ संयुक्त रूप से ब्राउन-बैग सेमिनार की एक शृंखला आयोजित की। वर्ष 2018-19 की ब्राउन-बैग शृंखला में प्रस्तुत कुछ लेखों में 'हाउसहोल्ड फाइनेंस इन डवपलिंग कंट्रीज़', गेन्स फ्रोम ट्रेड विद हेटरोजीनिअस एजेंट्स अंडर फाइनेंशियल कन्स्ट्रेन्ट्स' तथा 'कन्जेशन एंड कम्प्यूट शेडुलिंग इन ए मोनोसेंट्रिक सिटी' शामिल थे।

2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.18 आगामी वर्षों में एसआरयू से अपेक्षा है कि वह नीतिगत अनुसंधान से जुड़े प्रश्नों का समाधान सुझाए, समष्टि आर्थिक विकास की निगरानी जारी रखे, महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझने का प्रयास करें और उपयुक्त नीतिगत इनपुट प्रदान करें। एसआरयू ने अपने दीर्घकालिक एजेंडे में डेटा-आधारित नीतिगत अनुसंधान अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने तथा आंतरिक और बाह्य प्रस्तुतियों और समकक्ष-समीक्षित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के माध्यम से अनुसंधान कार्य को प्रसारित करने को शामिल किया है।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.19 वर्ष 2018-19 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है, विशेषरूप से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ केंद्रीय बैंक पारस्परिक सहयोग तथा इस क्षेत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पहलों पर बल दिया गया। बैंक ने अनेक द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्तालापों में हिस्सा लिया है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

जी 20 और इसके कार्यदल

X.20 रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरराष्ट्रीय विभाग ने केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर जी20 के विभिन्न कार्यदलों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए), रूपरेखा कार्यदल (एफडब्ल्यूजी) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) की बैठकों में भागीदारी की। इसने अर्जेन्टीना की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों और जी-20 के प्रतिनियुक्त प्रतिनिधियों की बैठकों में भारत की स्थिति पर इनपुट भी प्रदान किए। इन बैठकों का समापन नवंबर 2018 में जी20 के नेताओं की घोषणाओं के साथ हुआ। कार्य के भविष्य, आस्ति श्रेणी के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, क्रिप्टो-आस्ति संबंधी जोखिम, समष्टि विवेकसम्मत उपायों (एमपीएम) का वर्गीकरण, पूंजी प्रवाह प्रबंधन (सीएफ़एम) उपाय, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन और वैश्विक वित्तीय शासन पर जी 20 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति समूह (ईपीजी) की रिपोर्ट पर राय जैसे मुद्दों को भी इन बैठकों में शामिल किया गया।

X.21 इसके बाद जब जापान जी 20 का अध्यक्ष बना तब विभाग ने वैश्विक चालू खाता असंतुलन, काल-प्रभाव और इसके नीतिगत पहलू, गुणवत्तापूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश, बाज़ार विखंडन तथा वित्तीय नवाचार जैसे मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए। जी 20 ओसाका नेताओं की घोषणाओं ने पेरिस क्लब के साथ स्वैच्छिक रूप से मामला-दर-मामला आधार पर इसके कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु भारत का स्वागत किया। अंतरराष्ट्रीय विभाग द्वारा निर्धारित जी 20 / एफ़एसबी / बीआईएस संबंधी विनियामकीय मुद्दों पर सभी छह अंतर-विभागीय कार्य समूहों (आईडीडबल्यूजी) ने 2018-19 के दौरान अपनी रिपोर्टें पूरी कीं। ये (i) फिनटेक और डिजिटल नवाचार; (ii) बासेल III का कार्यान्वयन और इसके शेष भाग को अंतिम रूप देना; (iii) वैश्विक वित्तीय विनियामकीय सुधारों के प्रभाव; (iV) वित्तीय फर्मों के लिए समाधान और जमा बीमा फ्रेमवर्क; (V) ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव्स सुधार और (Vi) भारत में समष्टि आर्थिक फ्रेमवर्क को संस्थागत बनाने से संबंधित है। वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) पर आईडीडबल्यूजी का कार्य

जिसने फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग (अध्यक्ष: श्री सुदर्शन सेन) पर कार्यदल की रिपोर्ट, 2017 का अनुसरण करते हुए 'ड्राफ्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' पर एक सहयोगी पत्र को भी शामिल किया। आरबीआई के बैंकिंग विनियमन विभाग ने 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क' को अंतिम रूप दिया और अगस्त 2019 में इसे सार्वजनिक डोमेन पर रखा। इसके अलावा, विभाग ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) से संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए एक आईडीडब्ल्यूजी की स्थापना भी की है, जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना संबंधी मुद्दे

X.22 विभाग ने आईएमएफ़ के 2018 के अनुच्छेद IV मिशन के साथ-साथ आईएमएफ़ और विश्व बैंक से संबंधित आईएफ़ए से जुड़े मुद्दों पर कार्य करना जारी रखा। आईएमएफ़ के 15 वें जनरल रिव्यू ऑफ कोटास (जीआरक्यू) आवश्यक वोटिंग शेयरों के लिए समर्थन न मिलने के चलते अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईएमएफ़ स्प्रिंग 2019 की बैठकों में यह विचार व्यक्त किया कि उन्हें कोटा वृद्धि की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। पूंजी प्रवाह से संबंधित संचलन के लिए, विशेषरूप से समष्टि विवेक सम्मत उपायों (एमपीएम) के उपयोग के संबंध में, ओईसीडी कोड को संशोधित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की बैठकें

X.23 आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री शक्तिकांत दास ने बीआईएस जिसमें 60 केंद्रीय बैंक सदस्य हैं, के 18 सदस्यीय बोर्ड में पदभार ग्रहण करने की पेशकश को स्वीकार किया। विभाग ने बीआईएस की गवर्नरों की द्विमासिक बैठकों तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति (सीजीएफ़सी) की अन्य बैठकों के संबंध में विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान किए, इन समितियों की विषय वस्तुओं में गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति, जाली बैंकनोट संबंधी जोखिम तथा खरीद संबंधी मुद्दे, विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) का भविष्य, तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक बाज़ारों की निगरानी और बिग टेक के विकास से जुड़े लाभ और जोखिम शामिल हैं। विभाग ने प्रमुख जोखिम कारकों तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। इसने केंद्रीय बैंक गवर्नेंस समूह (सीबीजीजी) के तत्वावधान में बीआईएस द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे सहयोग में समन्वयक का कार्य भी किया। अंतरराष्ट्रीय विभाग ने 'अर्थक्षम पूंजी बाज़ारों की स्थापना' पर सीजीएफ़एस के दूसरे कार्यदल (सह अध्यक्ष: डॉ. विरल वी. आचार्य) के लिए सक्रिय योगदान दिया (बॉक्स X.2)।

वित्तीय स्थिरता संबंधी मुद्दे

X.24 उप गवर्नर श्री एन एस विश्वनाथन ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) क्षेत्रीय परामर्श समूह (आरसीजी), एशिया के सह-अध्यक्ष का पदभार संभाला, इन्हें वित्तीय प्रणालियों को प्रभावित करने वाली संवेदनशीलता के मामले पर एफ़एसबी सदस्य और गैर-सदस्यीय देशों के वित्तीय प्राधिकारियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और एशियाई क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के संबंध में पहल करने के लिए कहा गया है। विभाग ने उन मुद्दों पर भारत के रुझान संबंधी इनपुट तैयार किए जिनकी चर्चा एफ़एसबी की बैठकों में और कान्फ्रेंस कॉलों में की गई थी। इसके अलावा, इसने एफ़एसबी सर्वेक्षण जैसे एफ़एसबी / जी 20 सुधारों के लिए निगरानी नेटवर्क का कार्यान्वयन (आईएमएन), एसएमई वित्तीयन पर वित्तीय विनियामकीय सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन, ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ार संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन में प्रगति और क्षतिपूर्ति निगरानी पर इनपुट प्रदान किए।

X.25 विभाग ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक और घरेलू बैंकों के संबंध में संकल्प योजना मानकों के कार्यान्वयन पर चल रहे एफ़एसबी विषय क्षेत्र से संबंधित समकक्ष समीक्षा में भी योगदान दिया और एलईआई के कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति की सूचना प्रदान की।

X.26 विभाग ने गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफ़आई) के माध्यम से वैश्विक प्रवृतियों और जोखिमों का आकलन के लिए एफ़एसबी के वार्षिक निगरानी कार्य में योगदान दिया और 2018 की इसकी रिपोर्ट के लिए डाटा/इनपुट प्रदान किए।

बॉक्स X.2

उभरती और उन्नत अर्थव्यस्थाओं की ओर पूंजी बाज़ार का झुकाव

वर्ष 2018 में स्थापित अर्थक्षम पूंजी बाज़ारों की स्थापना के संबंध में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति (सीजीएफ़एस) के कार्यदल ने जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बाज़ार के आकार (चार्ट 1), उभरते और परिपक्व पूंजी बाज़ारों की पहुँच, चलनिधि की स्थिति और समुत्थानशीलता जैसे मानकों पर इनकी तुलना की गई है। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में लिखतों के विकल्पों में वृद्धि हुई, जबकि सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में गहनता आई है और चलनिधि बढ़ी है। ईएमई के कॉरपोरेट प्रतिभूति बाज़ारों का व्यापक गहनता आई हुआ है। हालांकि, वे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के बाज़ारों की तुलना में औसतन छोटे बने हुए हैं और खासतौर से राज्य के स्वामित्व वाली फ़र्मों के मामले में उन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस और अल्पांश हिस्सेदारी वाले शेयरधारकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों से जूझना पड़ता है। एई की तुलना में लंबी अवधि की परिपक्वता तथा स्थानीय करेंसी डेट प्रतिभूतियों का उपयोग अपेक्षाकृत कम है और कुछ छोटी फ़र्में ईएमई इक्विटी बाज़ारों का उपयोग करती हैं। कुछ देशों में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कोटे के माध्यम से स्टॉक कीमतों के पैतृक प्रबंधन को एक बाधक कारक के रूप में देखा जाता है। ईएमई बाज़ार के समक्ष उनमें विद्यमान अस्थिरता के प्रभाव-विस्तार से जुड़े मुददें भी होते हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है।

रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि घरेलू पूंजी बाज़ारों का खुलापन उन्हें वैश्विक प्रभावों के प्रति और अधिक संवेदनशील बना सकता है। इसमें अधिक गहन पूरक बाज़ार जैसे डेरिवेटिव, रिपो तथा प्रतिभूति उधार के लिए प्रेरक चलनिधि और पूंजी बाज़ार की स्थितियों में हेज़िंग और फंडिंग की सुविधा द्वारा व्यापक भागीदारी शामिल है। मजबूत और कुशल बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर चलनिधि को बढ़ावा देते हैं तथा व्यापार को सुरक्षित और सस्ता बनाते हैं।

यह रिपोर्ट निष्कर्ष स्वरूप छह व्यापक नीतिगत सिफ़ारिशें करती हैं: (i) बढ़ी हुई बाजार स्वायत्तता; (ii) निवेशक की सुरक्षा के लिए विधिक और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना; (iii) विनियामकीय स्वतन्त्रता और प्रभावशीलता को बढ़ाना; (iv) घरेलू संस्थागत निवेशक आधार की गहनता और विविधीकरण को बढ़ाना; (V) पूंजी बाज़ारों की व्यापक और द्विदिशात्मक शुरुआत; और (VI) डेरिवेटिव, रिपो और प्रतिभूति उधार के लिए अधिक गहन पूरक बाज़ारों का विकास करना।

यह रिपोर्ट बताती है कि कई कई चर्चाओं के बावजूद ईएम और एई इक्विटी बाजार के बीच मतभेद बने रहे। ईएम का निवेशयोग्य वैश्विक इक्विटी पूंजीकरण (10.8 प्रतिशत) हिस्सा उनके वैश्विक जीडीपी (40 प्रतिशत) के हिस्से की तुलना में वस्तुतः कम है (बेकेर्ट और हार्वे, 2017)। ईएम शार्पे अनुपात (वित्तीय पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रतिफल की माप) एई के शार्पे अनुपातों से सामान्यतः 50 प्रतिशत अधिक थे। हालांकि, ईएम की इक्विटी जो कभी वैश्विक इक्विटी से परस्पर संबंधित नहीं थी, अब लगभग 1.25 (ईएमई की स्टॉक अस्थिरता को वैश्विक स्टॉक बाजार की अस्थिरता से अधिक मानते हुए) उच्चतर बेटा रखती है तथा इनके चक्र एई इक्विटी के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। ईएम के करेंसी प्रतिफल 0.1 और 0.5 के बीच के अंतराल के साथ सकारात्मक रूप से ईएम इक्विटी प्रतिफल से परस्पर जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत, एई के लिए स्थानीय करेंसी इक्विटी प्रतिफल और करेंसी प्रतिफल औसतन आधार पर परस्पर संबंधित नहीं है, इसका तात्पर्य है कि ईएम इक्विटी निवेशकों के लिए करेंसी जोखिम प्रासंगिक है। ईएम के लिए गवर्नेंस संकेतक सामान्यतः बेहतर हुए हैं किन्तु एई बाज़ारों के लिए वे कमतर बने हुए हैं। खुलापन *कानूनी तौर* पर बढ़ा है लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ईएम के संविभागों में उल्लेखनीय कमी आई है और अब वह एई के 25 वर्ष पहले के स्तर के करीब है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय दबाव में कमी ने भारतीय बॉण्ड बाज़ारों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। कुछ ईएमई में बोली प्रस्तावित दर का दायरा और व्यापार के मूल्य प्रभाव का अनुमान अधिक तरलता वाले एई सरकारी बॉण्ड बाज़ारों के समान है। हालांकि, ऐसी अधिकांश ईएमई में बोली प्रस्तावित दर का दायरा उच्चतर है, जिनका भारत में 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी बॉण्ड प्रमुख एई की तुलना में केवल 2 आधार अंक था

संदर्भ:

1. सीजीएफ़एस (2019), 'एस्टैब्लिशिंग वाइअबल कैपिटल बाज़ार', सीजीएफ़एस पेपर संख्या 62 https:www.bis.org/publ/cgfs62.pdf पर उपलब्ध है।
2. बेकेर्ट, ग्रीट और केम्पबेल आर. हार्वे (2017) की 'इमर्जिंग इक्विटी मार्केट इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड' https://ssrn.com/anstract=2344817 पर उपलब्ध है।

चार्ट 1 : प्रतिभूति बाज़ारों के आकार के बॉक्स और विस्कर प्लोट्स

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

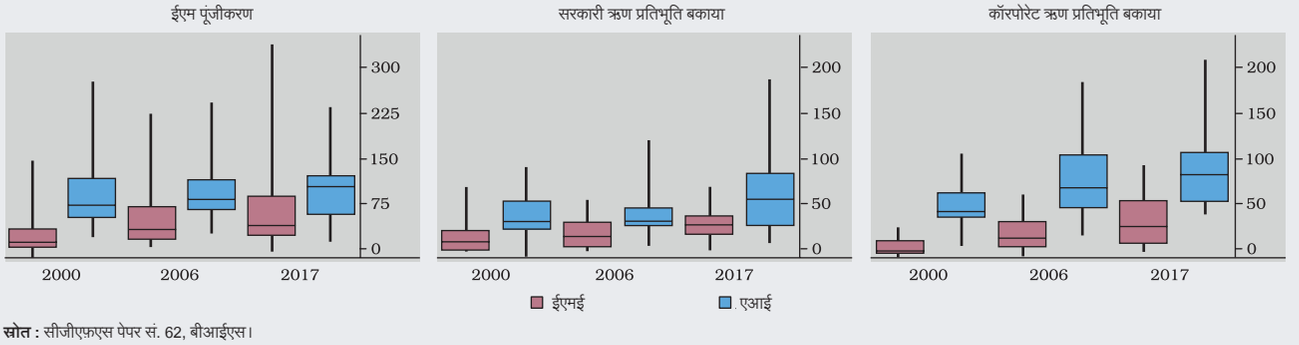

स्रोत : सीजीएफ़एस पेपर सं. 62, बीआईएस।

ब्रिक्स, सार्क और द्विपक्षीय सहयोग

X.27 जनवरी 2018 में ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका से ब्राज़ील के पास आ गई। विभाग ने उनकी अध्यक्षता में ब्रिक्स एजेंडे के लिए पूरी तरह से योगदान देना जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में दी जाने वाली प्रस्तुतियों के एक भाग के रूप में ब्रिक्स के केंद्रीय बैंकों ने जुलाई 2018 में सफलतापूर्वक प्रथम आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (सीआरए) टेस्ट रन आयोजित किया गया जिसमें डीलिंक्ड लिक्विडिटी इन्सट्रूमेंट शामिल था, फंड के वास्तविक अंतरण किया गया एवं टेस्ट रन के समापन पर पूर्णतया वापस कर दिया। ब्रिक्स के केंद्रीय बैंकों द्वारा फिनटेक और क्रिप्टो-आस्तियों पर जुलाई से अक्तूबर 2018 के प्रारम्भ में एक वस्तु स्थिति आकलन किया गया। यह अभ्यास इनके अभिमुखता स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ आगे के सहयोग की गुंजाइश के लिए था।

X.28 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के तहत रिज़र्व बैंक ने सार्क के कुछ केंद्रीय बैंकों को चलनिधि सहायता प्रदान की और उनके क्षमता निर्माण में प्रमुख रूप से योगदान दिया। भारत सरकार के अनुमोदन से फ्रेमवर्क में वर्तमान स्वैप व्यवस्था पर एक परिशिष्ट भी जोड़ा गया था ताकि वित्त मंत्री के अनुमोदन से अलग-अलग देशों के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से ऊपर 400 मिलियन यूएस डॉलर तक की अतिरिक्त स्वैप राशि प्रदान की जा सके। इसके लिए की सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कुल 2 बिलियन यूएस डॉलर की निधि में से अप्रयुक्त राशि का इस्तेमाल किया गया।

X.29 वर्ष के दौरान, सार्क फाइनेंस सहयोग संबंधी निम्नलिखित अध्ययन किए गए थे – (i) सार्क क्षेत्र में बुनियादी ढांचा संबंधी वित्तीयन; (ii) सार्क क्षेत्र में विनियामकीय व्यवस्था; और (iii) सार्क क्षेत्र में सीमा पार धन-प्रेषण की लागत को कम करना। भारत में एम. फिल/डॉक्टरेट करने के लिए द अफगानिस्तान बैंक और बांग्लादेश बैंक से दो अधिकारियों को सार्क फाइनेंस छात्रवृति की पेशकश की गई। सार्क फाइनेंस डेटाबेस पर कार्यदल का पाँचवाँ सेमिनार और तीसरी बैठक नेपाल राष्ट्र बैंक और रिज़र्व बैंक द्वारा 15-16 मई 2019 को संयुक्त रूप से काठमांडू में आयोजित की गई।

X.30 रिज़र्व बैंक और यूरोपीयन केंद्रीय बैंक ने अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) के एक भाग के रूप में 20 नवंबर 2019 को मुंबई में 'वित्तीय स्थिरता और वैश्विक प्रभाव-विस्तार' पर एक संयुक्त सेमिनार आयोजित किया। अंतरराष्ट्रीय विभाग सेमिनार श्रृंखला मीमांसा के अंतर्गत 'फिनटेक और वैश्विक वित्तीय विनियमन' पर दिनांक 14 जून 2019 को एक सेमिनार आयोजित किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरराष्ट्रीय विभाग ने विदेशी केंद्रीय बैंकों/विनियामकीय प्राधिकारियों / विदेश मंत्रालयों तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए क्षमता निर्माण हेतु रिज़र्व बैंक में 45 एक्पोज़र दौरे / अटैचमेंट आयोजित किए। आईडी ने एसईएसीईएन के साथ परस्पर संबंध में वृद्धि को भी बनाए रखा। इसके अलावा, आईडी ने अपनी क्षमता निर्माण और टीए मिशन संबंधी अपेक्षाओं के लिए आईएमएफ़ एसएआरटीटीएसी को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.31 अंतरराष्ट्रीय विभाग जी 20 में वित्तीय मार्ग संबंधी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखेगा। वर्ष 2019-20 के दौरान यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संचलन के कार्य-योजना से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह आईएमएफ़ के साथ अनुच्छेद IV 2019 संबंधी चर्चाओं को भी सफलतापूर्वक पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

X.32 विभाग वैश्विक वित्तीय विनियामकीय सुधारों के क्षेत्र में विभिन्न विभागों तथा विनियामकों के साथ सहयोग में एनबीएफ़आई द्वारा वैश्विक प्रवृत्ति और जोखिमों तक पहुँचने के लिए 2019 में एफ़एसबी के वार्षिक निगरानी अभ्यास के लिए अपना इनपुट देना जारी रखेगा। यह एफ़एसबी के बाज़ार विभाजन संबंधी अपडेट्स पर आगे की कार्यवाही करेगा जिनके अक्तूबर 2019 में मिलने की संभावना है।

X.33 विभाग बीआईएस और सीजीएफ़एस की बैठकों में विश्लेषणात्मक नीति को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना जारी रखेगा। ब्रिक्स के संबंध में ब्रिक्स सीआरए की समष्टि आर्थिक

अनुसंधान क्षमता को और मजबूत करेगा। दूसरे सीआरए टेस्ट रन में उन मूलतत्वों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें प्रथम टेस्ट रन में जांचे नहीं गए थे। विभाग अक्तूबर 2019 में भारत के सार्क फाइनेंस के अध्यक्ष बनने के साथ सार्क फाइनेंस–एसीयू के गवर्नरों की संगोष्ठी (बाह्य निवेश और परिचालन विभाग के सहयोग से) का आयोजन करेगा। यह देखते हुए कि सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप समझौते से संबंधित वर्तमान ढांचा नवंबर 2019 में समाप्त हो रहा है, अन्य सार्क बैंकों तथा भारत सरकार के साथ परामर्श करके 2019-22 की अवधि के लिए एक संशोधित ढांचे के निर्माण पर विचार किया जाएगा। विभाग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता प्रदान करने, सहयोगपूर्ण अध्ययन संबंधी कार्य तथा सार्क क्षेत्रों के लिए एक मजबूत और व्यापक डेटाबेस विकसित करने के संबंध में सार्कफाइनेंस रोडमैप का कार्य-योजना आगे भी निरंतर काम करता रहेगा।

5. सरकारी एवं बैंक लेखा

X.34 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिजर्व बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा संबंधी नीतियां बनाने के अलावा बैंकों के बैंकर एवं सरकार के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की निगरानी करता है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य सरकारों की प्रणाली को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना

X.35 वर्ष के दौरान चार राज्य सरकारों को ई-भुगतानों के लिए तथा एक राज्य सरकार को ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ जोड़ा गया। दिनांक 30 जून 2019 तक 28 राज्यों में से ऐसे 16 राज्य जिनके लिए रिज़र्व बैंक बैंकर के रूप में कार्य करता है, को मानकीकृत ई-प्राप्तियों के लिए तथा 16 राज्यों को मानकीकृत ई-भुगतानों के लिए ई-कुबेर के साथ जोड़ा गया था। इसके अलावा, चार राज्य सरकारों ने भी ई-भुगतान के उन्नत वर्शन को अपना लिया। रिज़र्व बैंक ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों को सक्षम बनाने के लिए शेष राज्य सरकारों की प्रणालियों को ई-कुबेर के साथ जोड़ने के संबंध में सक्रिय है।

कागज़ बाद में (पी2एफ़) व्यवस्था

X.36 रिज़र्व बैंक वर्तमान पी2एफ़ व्यवस्था में किए जाने वाले चेक के उपयोग को बंद करने के संबंध में राज्य सरकारों पर दबाव बना रहा है और अब तक 13 राज्यों ने पी2एफ़ को बंद करने के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के परामर्श से यह समाधान निकला है कि सभी राज्य सरकारों द्वारा सहमति दिए जाने का इंतजार किए बिना इनके चैकों के लिए पी2एफ़ को चरणबद्ध ढंग से बंद किया जा सकता है। इस संबंध में बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

X.37 सरकारी बैंकिंग की लागत पर गठित समिति की सिफ़ारिशों के साथ-साथ कारोबार प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में बने कार्य दल की सिफ़ारिशों को लागू करने की व्यवहार्यता के संबंध में आंतरिक जांच की गई तथा एजेंसी कमीशन की संशोधित दरों पर एक परिपत्र जारी किया गया है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.38 विभाग रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान पोर्टल (ई-कुबेर) के साथ केंद्रीय सरकार के साथ-साथ शेष राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों की प्रणाली को एकीकृत करने तथा इनके द्वारा वर्तमान में ई-कुबेर के माध्यम से किए जा रहे लेन-देन में वृद्धि करने के लिए इन्हें सहमत करने का प्रयास जारी रखेगा (बॉक्स X.3)। एजेंसी बैंकों पर निगरानी को पुनः सशक्त किया जाएगा तथा इन्हें आरबीआई से संग्रहीत सरकारी प्राप्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए भी ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया जाएगा। भविष्य में केंद्रीय सरकार की वर्तमान त्रुटिज्ञापन संबंधी ऑनलाइन प्रक्रिया का सभी राज्य

बॉक्स X.3

रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के लेन-देनों के प्रत्यक्ष संचालन हेतु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल[2]

रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में अपनी सं-वैधानिक भूमिका के तहत भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अपने कार्यालयों के माध्यम से अथवा अपने द्वारा नियुक्त एजेंसी बैंकों के माध्यम से सरकारी भुगतान तथा सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण की सुविधा प्रदान करता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, रिज़र्व बैंक तीव्रतर तथा कुशल लेखांकन के लिए और सरकारी निधियों के निपटान के लिए प्रौद्योगिकीयों को अधिकाधिक अपनाने पर ज़ोर दे रहा है। इनमें लेन-देन की रिपोर्टिंग तथा प्रोसेसिंग के लिए मानकीकृत मॉडल के रूप में स्ट्रेट-थ्रू -प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधारित प्रणालियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए सरकारी लेन-देनों का प्रत्यक्ष संचालन, सही समय पर भुगतान और तत्काल आधार पर प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रहण द्वारा रिज़र्व बैंक के पास मौजूद निधियों के बेहतर उपयोग हेतु सरकार को सक्षम बनाता है। ये अपेक्षाएं मानकीकृत संप्रेषण प्रोटोकॉल तथा डेटा सुरक्षा के उपयोग द्वारा रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के साथ सरकार की विभिन्न प्रणालियों के शुरू से अंत तक के एकीकरण के माध्यम से पूरी हो रही हैं।

भुगतान के संबंध में, केंद्र सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के लिए मानकीकृत ई-भुगतान मॉडल को लागू किया गया है। यह मॉडल डेटा विनिमय के साथ-साथ लेन-देन की स्थिति और लेखांकन संबंधी सूचना की रिपोर्टिंग के लिए आईएसओ 20022 फॉर्मेट को अपनाते हुए एसटीपी आधारित भुगतानों को सक्षम बना रहा है। रिज़र्व बैंक लाभार्थियों को सीधे भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी) प्रणाली का उपयोग कर रहा है। लेखा नियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफ़एमएस) के साथ ई-कुबेर के एकीकरण के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय सिविल मंत्रालय ई-भुगतान कर रहे हैं। वर्तमान में 16 राज्य सरकारों की ट्रेजरी प्रणाली अपने ई-भुगतानों की प्रोसेसिंग के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत है।

प्राप्तियों की बात करें, तो मानकीकृत ई-प्राप्ति संबंधी मॉडल एक तरफ सरकारी प्रणालियों को और दूसरी तरफ एजेंसी बैंकों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करता है। यह इन बैंकों द्वारा सरकारी प्राप्तियों की मा-नकीकृत ऑनलाइन रिपोर्टिंग को कुशल तरीके से प्रस्तुत करने को आसान बनाती है ताकि इन लेन-देनों के समेकित इनपुट को संबंधित सरकारी विभागों को उपलब्ध कराया जा सके। 16 राज्य सरकारों की ट्रेजरी प्रणाली ई-भुगतान मॉडल के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत है।

रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पूरे देश में जीएसटी के संग्रहण के लिए 'संकलक' के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ एकीकृत है। प्राप्तियों के संबंध में, यह एनईएफ़टी / आरटीजीएस भुगतान विकल्पों का उपयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ अपने खातों में सरकार की प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रहण को संभव बनाता है। इसके द्वारा, ग्राहक किसी भी सहभागी बैंक शाखा से एनईएफ़टी / आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन धन-प्रेषण व रिज़र्व बैंक के साथ सरकारी खातों में सीधे भुगतान कर सकते हैं। इस एनईएफ़टी / आरटीजीएस आधारित भुगतान विकल्प को केंद्रीय सरकार के जीएसटी फ्रेमवर्क और *भारत कोष* या गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है। तीन राज्य सरकारों ने भी अपनी ई-प्राप्ति प्रणाली को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया है और इसके लिए अपने संबंधित प्राप्ति पोर्टलों पर एनईएफ़टी/आरटीजीएस भुगतान का विकल्प प्रदान किया है।

इसके भविष्य के कार्य-योजना में, इन संस्थाओं को और इनके द्वारा सही समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए पीएफ़एमएस के माध्यम से स्वायत्त निकायों के भुगतान के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट फ्रेमवर्क को प्रक्रिया में लाना, डिफेंस पेंशनरों को सीधे भुगतान की सुविधा देने हेतु रक्षा मंत्रालय की पेंशन प्रणाली को एकीकृत करना, अं-तर-सरकारी समायोजन सलाह प्रेषित करने के लिए मानकीकृत प्रोटो-कॉल, बकाया अप्रत्यक्ष करों के सीधे संग्रहण के लिए सरकारी प्रणालि-यों के साथ एकीकरण तथा सभी राज्य सरकारों को जीएसटी के लिए त्रुटि ज्ञापन संबंधी ऑनलाइन प्रक्रिया का विस्तार *आदि* शामिल है।

सरकारों तक विस्तार करके वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकारों के लिए पी2एफ़ व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा।

6. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन

X.39 देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) का प्रबंधन बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) करता है, जिसमें सुरक्षा, तरलता और प्रतिफलों पर विशेष

ध्यान दिया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जून 2019 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष की समरूप अवधि में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और एफईआर के प्रबंधन में व्यापक विविधता लाने के उद्देश्यों के मद्देनज़र एफईआर में स्वर्ण को जोड़ा गया (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सोना - हालिया रुझान

वैश्विक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) का स्टॉक दिसंबर 2018 में 11.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर था। हाल के वर्षों में, केंद्रीय बैंकों ने अपने एफईआर को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता प्रदान की है। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर के शेयर में लगातार गिरावट आई है, हालांकि 2018 की चौथी तिमाही में आबंटित संसाधनों के लगभग 62 प्रतिशत के साथ, इसकी यूरो, स्टर्लिंग और येन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के संघटन में प्रभावी हिस्सेदारी है। सोना एफईआर (सारणी 1) का एक महत्वपूर्ण घटक है। जून 2018 के अंत में, केंद्रीय बैंकों ने सामूहिक रूप से 1.36 ट्रिलियन डॉलर के सोने का भंडारण किया, जो वैश्विक एफईआर(डब्ल्यूजीसी) 2018 का लगभग 10 प्रतिशत था।

विश्व अर्थव्यवस्था में खरीदे गए सोने की मात्रा वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की अवधि से पहले लगातार गिर रही थी। हालांकि, वर्तमान में स्थिति इसके बिलकुल विपरीत हो गई है और इसके बाद सोने की खरीदारी बढ़ी है (चार्ट 1)। सोने के भंडारण में हालिया वृद्धि मुख्य रूप से उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) द्वारा संचालित है, जिसके कारण हैं : (ए) जीएफसी के बाद भंडार के स्तर में सामान्य वृद्धि; (बी) अमेरिकी डॉलर से दूर जाने वाली विविधीकरण रणनीति; और (सी) उन देशों द्वारा वैकल्पिक संपत्ति के रूप में सोने का उपयोग किया गया है, जिन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं (अमूंडी, 2019)।

विदेशी भंडार में सोने की हिस्सेदारी में वृद्धि (चार्ट 2) मुख्य रूप से 2009-12 की अवधि के दौरान सोने की कीमतों में वृद्धि (चार्ट 3) के

सारणी 1: आधिकारिक तौर पर सोने का भंडारण करने वाले विश्व के शीर्ष दस देश

		टन	विदेशी आरक्षित निधि में हिस्सेदारी
1	यूनाइटेड स्टेट	8,133.5	74.9
2	जर्मनी	3,369.7	70.6
3	इटली	2,451.8	66.9
4	फ्रांस	2,436.0	61.1
5	रूसी संघ	2,150.5	19.1
6	चीन, पी आर : मेन लैंड	1,874.3	2.5
7	स्विट्ज़रलैंड	1,040.0	5.5
8	जापान	765.2	2.5
9	नीदरलैंड	612.5	65.9
10	भारत	608.7	6.4

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, अप्रैल 2019, डब्ल्यूजीसी।

चार्ट 1: सोने का भंडारण : वैश्विक वित्तीय संकट के पहले और बाद में

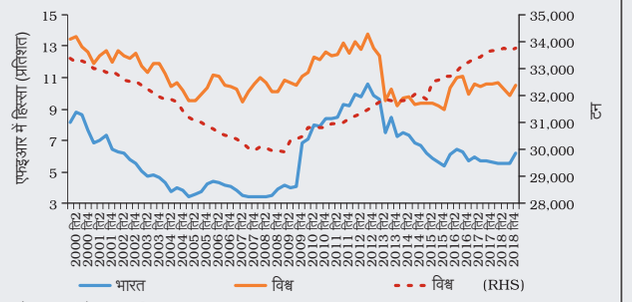

स्रोत : वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।

चार्ट 2: अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार और सोना

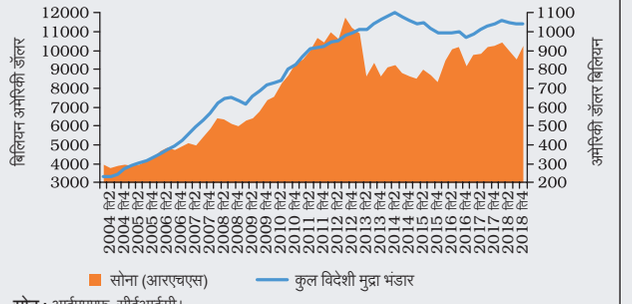

स्रोत : आईएमएफ, सीईआईसी।

चार्ट 3: अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत

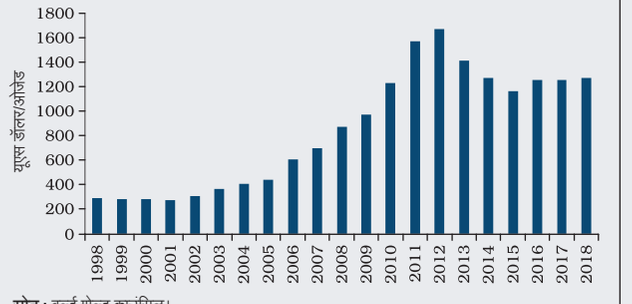

स्रोत : वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।

(जारी...)

चार्ट 4: 2010-2018 के दौरान शीर्ष पाँच निवल खरीदार

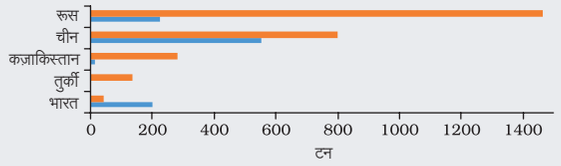

	भारत	तुर्की	कज़ाकिस्तान	चीन	रूस
2010-18	42.7	137.4	280.0	798.4	1464.0
2002-09	200.0	0.0	13.2	553.3	226.1

2010-2018 2002-2009

स्रोत : वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।

कारण हुई है। टन में खरीद की बात करें, तो यह वृद्धि 2009 में लगभग 30,000 मीट्रिक टन से 2012 में लगभग 32,000 मीट्रिक टन हो गई थी। सोने की खरीद के मामले में शीर्ष पांच देश हैं - रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्की और भारत (चार्ट 4)।

संदर्भ:

1. मार्केट अपडेट: 'सेंट्रल बैंक बाईंग एक्टिविटी', वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी), सितंबर 2018
2. अमूण्डी एसेट मैनेजमेंट(2019), 'गोल्ड इन सेंट्रल बैंक' एसेट एलोकेशन, इंवेस्टमेंट इंसाइट ब्लू पेपर, मार्च 2019

2018-19 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.40 विभाग ने साइबर जोखिमों से आईटी सुरक्षा और बचाव के लिए अंतरराष्ट्रीय बेहतरीन कार्यप्रणाली की तरह अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) कदम उठाए हैं। ब्याज दर फ्यूचर्स लेन-देन के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है जो उन्नत चरण में है और जिसके 2019-20 में पूरा होने की उम्मीद है। विदेशी आरक्षित निधि पर प्रतिफल बढ़ाने के उद्देश्य से एक नियमित आधार पर रिपो लेन-देन किया गया।

2019-20 के लिए कार्य योजना

X.41 विभाग जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की समीक्षा करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट जोखिम को मापने के वैकल्पिक तरीकों की खोज शामिल होगी। रिपो और विदेशी मुद्रा स्वैप क्षमताओं को बढाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि और साइबर जोखिमों के लिए सुरक्षा उपाय भी जारी रहेंगे।

7. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.42 रिज़र्व बैंक के ज्ञान केंद्र के रूप में अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति निर्माण के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान इनपुट उपलब्ध कराने और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रयत्नशील रहता है। यह विभाग, राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत होने के अलावा, रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टों और प्रमुख अनुसंधान प्रकाशनों के साथ ही बाहरी विशेषज्ञों के साथ नीति-उन्मुख अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देता है तथा परिचालन से जुड़े विभिन्न विभागों तथा बैंक द्वारा स्थापित तकनीकी समूहों/समितियों को सहायता भी मुहैया कराता है।

2018-19 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.43 वर्ष के दौरान, विभाग ने रिजर्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों[2], मुख्यतः - वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिनों तथा भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक के चौथे संस्करण का उच्च गुणवत्ता के साथ समय से प्रकाशन किया। विभाग ने *'राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के लिए बजट का एक अध्ययन'* भी प्रकाशित किया - एक वार्षिक प्रकाशन जो राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है और 2015-16, 2016-17 के वास्तविक परिणामों के अलावा, 2018-19 के लिए बजट अनुमानों को कवर करके समय अंतराल को समाप्त कर दिया और 2017-18 के संशोधित अनुमानों को प्रकाशित किया। राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मासिक

[2] भारतीय रिज़र्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टें *(वार्षिक रिपोर्ट* और *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट)* तथा मासिक *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन* भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

आंकड़ों को इस वर्ष पहली बार 2018-19 के लिए 24 राज्यों की छमाही राजकोषीय स्थिति के साथ समेकित और प्रकाशित किया गया था। विभाग ने आरबीआई समसामयिक पर्चा, जो कि बैंक का एक समकक्ष समीक्षित अनुसंधान जर्नल है, के दो अंकों (खण्ड 38 और 39) का प्रकाशन किया। विभाग ने निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए और गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप वर्ष के दौरान मौद्रिक समुच्चयों, भुगतान संतुलन, विदेशी कर्ज, प्रभावी विनिमय दरों, संयुक्त सरकारी वित्त, हाउसहोल्डों की वित्तीय बचत तथा निधि प्रवाह से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों का समेकन और प्रसार किया।

X.44 2018-19 के दौरान, विभाग ने पैंतालीस शोध पत्र / लेख प्रकाशित किए, जिनमें से 16 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में रिज़र्व बैंक के बाहर प्रकाशित हुए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पांच वर्किंग पेपर प्रकाशित किए गए। साथ ही साथ, एक विभाग स्तरीय चर्चा मंच, डीईपीआर स्टडी सर्कल ने विविध अनुसंधान विषयों पर वर्ष के दौरान 40 सेमिनार / प्रस्तुतियां की।

X.45 केंद्रीय पुस्तकालय और भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार (आरबीआईए) डीईपीआर की दो प्रमुख इकाइयाँ हैं जो रिज़र्व बैंक के इतिहास सहित अनुसंधान और प्रकाशन रिपोर्टों के संचालन के लिए विभिन्न विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री प्रदान करती हैं। पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं/ई-पत्रिकाओं और बैंकिंग, अर्थशास्त्र और वित्त पर ऑनलाइन डेटाबेस सहित पुस्तकों/ई-पुस्तकों का व्यापक संग्रह है। लाइब्रेरी ने सभी 200 प्रिंट पत्रिकाओं / 23 पत्रिकाओं को एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में बदल दिया है ताकि पूरे भारत में आसान पहुँच की सुविधा मिल सके। इनका उद्देश्य 1997 से पहले के सभी आरबीआई प्रकाशनों, समितियों की रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्टें, बुलेटिनों, अन्य दुर्लभ पुस्तकों को डिजिटल रूप से संरक्षित करते हुए इन तक पहुंचना आसान बनाना है। रिज़र्व बैंक में पुरालेख और अभिलेख प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए आरबीआईए जिम्मेदार है। यह देश के विभिन्न हिस्सों और विदेश से आने वाले विद्वानों को अनुसंधान सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

X.46 विभाग ने वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें चार स्मारक व्याख्यान भी शामिल थे। 2 अगस्त 2018 को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफ़ेसर रॉबर्टो रिगोबॉन द्वारा दूसरा सुरेश तेंदुलकर मेमोरियल व्याख्यान दिया गया; 5वां पी. आर. ब्रह्मानंद स्मारक व्याख्यान प्रो. देवेश कपूर, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय द्वारा 19 अक्टूबर 2018 को दिया गया था; 16वां एल. के. झा स्मारक व्याख्यान 14 दिसंबर 2018 को लंदन बिजनेस स्कूल के प्रो. हेलेने रे द्वारा दिया गया और 17वें सी. डी. देशमुख मेमोरियल लेक्चर 25 अप्रैल 2019 को बीआईएस के महाप्रबंधक श्री ऑगस्टीन कार्स्टेंस ने दिया था।

X.47 वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आयोजित अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में श्री क्लाउडियो बोरियो, बीआईएस के मौद्रिक और आर्थिक विभाग के प्रमुख द्वारा 'मॉनीटरी पॉलिसी इन द ग्रिप ऑफ ए पिंचर मूवमेंट'; प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग द्वारा 'कृषि क्षेत्र में मुद्दों और आउटलुक' और श्री राजीव खेर, डिस्टिंग्विश फेलो, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली द्वारा 'भारत की व्यापार नीति: उभरती चुनौतियां और अवसर' पर व्याख्यान आयोजित किए गए। विभाग ने भारत- केएलईएमएस [राजधानी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाओं (एस)] अनुसंधान परियोजना पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें केएलईएमएस डेटाबेस का उपयोग करते हुए अध्ययनों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।

X.48 विभाग का वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन 1-3 मार्च, 2019 के दौरान जयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य प्रोफेसर बी.एन. गोदर की अध्यक्षता में 'जीडीपी बैक-सीरीज़' पर एक पैनल चर्चा भी शामिल थी। सिटी बैंक में प्रबंध निदेशक और उभरते बाजारों के अर्थशास्त्र के प्रमुख श्री डेविड लुबिन ने 'इज कैपिटल एकाउंट फंडामेंटलिज़्म डेड?' पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। सम्मेलन में *भारतीय राज्य सांख्यिकी पुस्तिका* के चौथे संस्करण का भी विमोचन किया गया।

2019-20 के लिए कार्य योजना

X.49 मानक सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रकाशनों तथा प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के संकलन और प्रसार के अलावा डीईपीआर विजन 2022 का अनुसरण करते हुए विभाग 2019-20 के दौरान विश्लेषण और शोध पर ध्यान केंद्रित करेगा। विभाग मुद्रास्फीति और संवृद्धि से जुड़े पूर्वानुमानों में सुधार लाने के लिए बिग डाटा के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशेगा। यह समसामयिक महत्व के क्षेत्रों का अध्ययन करेगा उदाहरणार्थ, बैंक की उधार देने की प्रवृत्ति में पूंजी की भूमिका, गैर-वित्तीय फर्मों की बैंकों पर निर्भरता; भुगतान प्रणालियों में नवाचार और मुद्रा की मांग; चलनिधि की वैश्विक स्थिति और निर्यात पर व्यापार से जुड़े नीतिगत उपायों का प्रभाव, वित्तीय चक्रों से जुड़े आकलन, भारत में कुल फैक्टर उत्पादकता के निर्धारक तत्व, आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य मुद्रास्फीति गतिकी, उदय/उदय बॉण्ड का प्रदर्शन और निहितार्थ तथा ऋण स्थिरता के लिए गारंटी का निहितार्थ। विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई विश्लेषणात्मक जानकारी भी मुहैया कराएगा जैसे आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता सूचकांक, बाहरी भेद्यता और आर्थिक गतिविधि के समग्र उच्च आवृत्ति संकेतक।

X.50 वर्ष 1997-2008 से संबंधित रिज़र्व बैंक के इतिहास का पाँचवाँ खंड 2019-20 के दौरान पूरा किया जाएगा। केंद्रीय पुस्तकालय ने डिजिटल सामग्री तक पहुंच बढ़ाने की योजना बनाई है। आरबीआईए वर्ष के दौरान आरबीआई संग्रहालय, कोलकाता की पहली मंजिल पर एक पुरालेख संग्रहालय स्थापित करेगा।

8. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.51 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) बैंकिंग, मौद्रिक, कॉर्पोरेट और बाहरी क्षेत्र; पर ध्यान देने के साथ उच्चतम गुणवत्ता के राष्ट्रीय-स्तर के समष्टि आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एकत्र करने, संसाधित करने और प्रसार करने तथा रिज़र्व बैंक के सभी कार्यों में सर्वेक्षण, आंकड़ा प्रबंधन और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय अनुसंधान के माध्यम से सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के दो अतिव्यापी लक्ष्यों द्वारा संचालित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, डीएसआईएम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिजर्व बैंक के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस का रखरखाव करता है, जो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म पर विवरणियों की केंद्रीकृत रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है और सूचना प्रबंधन संबंधी अनेक प्रकार की सहायता सेवाएं प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक की नीति और परिचालन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह विभाग सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में भी सतत सक्रिय है।

2018-19 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.52 वर्ष के दौरान विभाग ने अपने नियमित प्रकाशन सफलतापूर्वक निकाले यथा - भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2017-18; भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ 2017-18; भारत में एससीबी की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणी, मार्च 2018; एससीबी (बीएसआर 1) का तिमाही बकाया क्रेडिट; और 2018-19 के लिए एससीबी (बीएसआर 7) के जमा और साख पर तिमाही आंकड़े। साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डब्ल्यूएसएस) और रिज़र्व बैंक बुलेटिन के 'करंट स्टैटिस्टिक्स' हिस्से को निर्धारित आवृत्ति के अनुसार, मौजूदा डेटा वेयरहाउस, भारतीय अर्थव्यवस्था (डीबीआईई) पर डेटाबेस से जनरेट किया गया। मौद्रिक नीति निर्माण में इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले सर्वेक्षण समयानुसार कराए गए। सर्वेक्षण पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में प्रतिक्रियादाता इकाइयों के आकार और नमूना अनुपात को भारांक देते हुए भारित निवल प्रतिक्रियायों (डब्ल्यूएनआर) का दक्षता परीक्षण सर्वेक्षण के परिणामों के विश्लेषण को परिष्कृत करने के लिए शुरू किया गया। सितंबर 2018 से घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के लिए कोटा नमूने के स्थान पर दो-चरण की संभाव्यता के नमूने की शुरुआत की गई। आईईएसएच और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के लिए शहर-वार नमूना आकार को शहर में घरों की संख्या के अनुपात के आधार पर संशोधित किया गया था। मौजूदा आईईएसएच प्रश्नावली की समीक्षा करने और चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का विस्तार करने के तरीके सुझाने के लिए आईईएसएच पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया

गया था। नमूने के लिए (i) इंडियन स्टार्ट अप सेक्टर सर्वेक्षण (एसआईएसएस) और (ii) सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स (एसआरपीएचआई) किया गया।

X.53 खाता स्तर आंकड़े (बीएसआर 1) का उपयोग करके तिमाही आधार पर आवास और व्यक्तिगत ऋणों के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई थी। (i) चुनिंदा बैंकों में मौजूद वेतन खातों की जानकारी; (ii) नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी आंकड़े; और (iii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से किए गए वेतन भुगतान का इस्तेमाल रोजगार सूचकांक बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए किया गया था।

X.54 केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) का कार्यान्वयन, अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस पर काम चल रहा है। बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन और पैठ परीक्षण और पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन के बाद वेब पर शुरू की गई थी। भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया है जो भारत के मानचित्र पर बैंकिंग इकाइयों को आंतरिक उपयोग के लिए है

X.55 सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) स्थापित करने के लिए गठित कार्यान्वयन कार्यदल (आईटीएफ़) के मार्गदर्शन में व्यावसायिक आवश्यकताओं, सूचना संरचना और उच्च-स्तरीय तकनीकी डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने के लिए एक एजेंसी का चयन, एक व्यापक पीसीआर अधिनियम का मसौदा तैयार करना और कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ परामर्श करते हुए पीसीआर के दायरे में कॉर्पोरेट डेटाबेस को जोड़ने की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

X.56 मात्रात्मक प्रतिगमन (क्वांटाइल रिग्रेशन) का उपयोग करके खाद्य मुद्रास्फीति व्यवहार का आकलन करने संबंधी अनुसंधानपरक कार्य, उपयुक्त रूप से चुने गए तनावपूर्ण परिदृश्यों के आधार पर सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों की जोखिम प्रोफ़ाइल विकसित करना, भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रों का अध्ययन और बिग डाटा विश्लेषिकी और संबंधित सांख्यिकीय और मशीनीकृत अधिगम तकनीकों का उपयोग करके मीडिया लेखों (न्यूज़फ़ीड) का भावनात्मक विश्लेषण भी किया गया।

X.57 सार्कफाइनेंस डेटाबेस (एसएफडीबी) को दक्षेस पर अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए डीबीआईई में होस्ट किया गया है ताकि सार्क अर्थव्यवस्थाओं पर अनुसंधान और विश्लेषण को प्रोत्साहन दुया जा सके। एक नया वेब-पोर्टल विकसित किया गया था, जो डायनेमिक डैशबोर्ड की सुविधा भी प्रदान करता है, ताकि सदस्य देशों से डेटा रिलीज कैलेंडर के अनुसार समय पर डाटा प्राप्त किया जा सके और उसकी गुणवत्ता जांच भी हो सके।

X.58 भारत के बाह्य खाते के आंकड़ों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत, मूल स्रोत/अंतिम गंतव्य देश के अनुसार सेवाओं के व्यापार से संबंधित वित्तीय प्रवाह पर जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई जो सेवाओं के उद्गम/अंतिम सुपुर्दगी के स्थान के अनुसार संबंधित अनुमानों के संकलन की सुविधा प्रदान करेगी। विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) की वार्षिक जनगणना की रिपोर्टिंग को वेब-आधारित प्रस्तुति प्लेटफॉर्म के विकास के साथ और अधिक परिष्कृत किया गया है।

2019-20 के लिए कार्य योजना

X.59 सीआईएमएस के कार्यान्वयन को सिस्टम-से-सिस्टम एकीकरण, मौजूदा डेटाबेस से डेटा माइग्रेशन और घटक-आधारित डेटा रिपॉजिटरी के निर्माण के माध्यम से पूर्णता की दिशा में आगे ले जाया जाएगा। एक मेटाडेटा संचालित डेटा रखरखाव और प्रसार प्रणाली, सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानकों के बाद सीआईएमएस संरचना के हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। एक ग्रैनूलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) (बॉक्स X.5) और एक विनियामक सैंडबॉक्स परिदृश्य भी सीआईएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

X.60 सीआईएसबीआई के कवरेज का विस्तार सहकारी बैंकों के साथ उनके भौगोलिक स्थानों को शामिल करके किया जाएगा। एक पीसीआर के निर्माण के लिए प्रणाली विकास को

बॉक्स X.5

ग्रेन्यूलर डाटा एक्सेस लैब (जीडीएएल)

ग्रेन्युलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सेवा है, जो (निजता/गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पहचान संबंधी विवरणों को छिपाने के साथ) एक सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण के भीतर सूक्ष्म(ग्रेन्यूलर) स्तर डेटा पर अनुसंधान की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को कारगर और नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। यह डेटा शृंखला की पहचान करेगा जिसे जीडीएएल परिवेश के माध्यम से जारी/साझा किया जा सकता है।

जीडीएएल पहल की प्रेरणा वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2009 की जी-20 बैठक से मिली, जिसमें वित्तीय संकट से संबंधित डेटा अंतराल को रोकने से संबंधित कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए पहले डेटा गैप्स इनिशिएटिव (पहल) (डीजीआई-1) का समर्थन किया था II (डीजीआई-2) (2015) का उद्देश्य मेटाडेटा के साथ-साथ डेटा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और ग्रेन्यूलर डाटा तक पहुंच बनाना है।

ग्रैन्युलर डाटा के सांख्यिकीय हैंडलिंग के संबंध में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस (आईएनईएक्सडीए) ड्यूश बुंडेसबैंक के रिसर्च डाटा एंड सर्विस सेंटर (आरडीएससी) और बैंको डी पुर्तगाल पहले से ही इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनकी शुरुआत 2017 में ऐसे पांच बैंकों ; बैंका डी इटालिया, बैंकों डी पुर्तगाल, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंके डी फ्रांस और ड्यूश बुंडेसबैंक द्वारा की गई। यूरोपियन केंद्रीय बैंक, बैंको डी एस्पाना, बैंको सेंट्रल डे चिली और तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक ने 2018 में आईएनईएक्सडीए से जुड़े। ग्रेन्यूलर डाटा अनुसंधान डाटा समर्थित नीतिगत जानकारी (इनपुट) प्रदान करेगा।

संदर्भ:

1. बेन्डर, स्टेफन एवं पेट्रीसिया स्टाब, (2015). गेटवे टु ट्रीज़र ऑफ माइक्रो डेटा ऑन द जर्मन फाइनेंसियल सिस्टम', द *बुंदेसबैंक रिसर्च डेटा एवं सर्विस सेंटर(आरडीएससी)*-यह https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41l.pdf पर उपलब्ध है।
2. प्रो. क्लोडिया बूच, उपाध्यक्ष, ड्यूश बुंदेसबैंक (2018). 'कैन टेक्नोलोजी एंड इन्नोवेशन हेल्प? न्यू डेटा जेनेरेटिंग पोसीबिलिटीज़'. सांख्यिकी से संबंधित पर यूरोपियन केंद्रीय बैंक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया भाषण। यह https://www.bundesbank.de/en/press/speeches/can-technology-and-innovation-help-new-data-generating-possibilities-750868. पर उपलब्ध है।
3. बंकों डी पुर्तगाल की वार्षिक रिपोर्ट 2017। यह रिपोर्ट https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/relatorio_atividade_contas_2017_en.pdf पर उपलब्ध है।
4. आईएनईएक्सडीए नेटवर्क के सदस्य (2018)। आईएफसी वर्किंग पेपर संख्या 18: आईएनईएक्सडीए – द ग्रेन्यूलर डेटा नेटवर्क। यह https://www.bis.org/ifc/publ/ifcwork18.pdf पर उपलब्ध है।

मॉड्यूलर और चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा। कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित आंकड़ों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए, विभाग रिजर्व बैंक के आंकडों के हस्तांतरण को स्वचालित बनाने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है। परियोजना के 2019-20 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है।

X.61 उद्यम सर्वेक्षण के लिए एक वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा। मार्च 2015 से पहले सीसीएस के ऐतिहासिक इकाई-स्तरीय डाटा के संबंध में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए डीबीआईई के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। एक विशेषज्ञ समूह आईईएसएच के कवरेज को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तारित करने के मुद्दे की जांच कर रहा है। टीएसीएस के मार्गदर्शन में सर्वेक्षण के परिणामों की सटीकता को बढ़ाने के लिए मौजूदा सर्वेक्षणों और अनुमान प्रक्रियाओं को और अधिक युक्तियुक्त बनाने की समीक्षा की जाएगी।

X.62 एक्सबीआरएल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत वैधानिक विवरणी के लिए डिजिटल हस्ताक्षर करने की शुरूआत की जाएगी। शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय बिचौलियों के लिए डेटा संग्रह प्रणाली (डीसीएस-एनबीएफआई) और केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) डेटाबेस विकसित की जाएगी, जो डीबीआईई के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाएगी। विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक के डेटा वेयरहाउस में जीएसटी प्राप्तियों के डेटा को संग्रहीत करने के भी प्रयास किए जाएंगे।

X.63 विभाग नीति इनपुट के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक विकास के लिए तात्कालिक अनुमान पूर्वानुमान और आकलन के लिए

उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणालियों को परिष्कृत करना निरंतर जारी रखेगा। समष्टि-आर्थिक संकेतक के लिए मनोभाव विश्लेषण करने के लिए बिग डाटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अनुसंधान और विश्लेषण को और मजबूत बनाया जाएगा।

9. विधिक मुद्दे

X.64 विधि विभाग परामर्शी विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करार-नामों की भली प्रकार जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से सुदृढ़ हों। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराता है तथा संबंधित परिचालन तक विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के सामने मामलों की सुनवाई में हाजिर होता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), कैफरल तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों तथा अदालती मामलों में सहायता और सलाह देता है।

2018-19 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.65 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण विधानों/विनियमों को लागू किया गया/उनमें संशोधन किया गया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 21 अप्रैल 2018 को प्रवृत हुआ, यह अधिनियम भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बच निकलने की प्रवृतियों पर रोक लगाने के लिए उपाय निर्धारित करता है। यह अधिनियम कम से कम ₹100 करोड़ के आर्थिक अपराध में शामिल उस व्यक्ति पर लागू होगा जो विधिक कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर चला जाता है। अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 दिनांक 21 फरवरी 2019 को प्रख्यापित किया गया।

X.66 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी, 2016) में कॉरपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फ़र्मों तथा व्यक्ति विशेष के लिए दिवालियापन के समाधान की एक समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत खरीददारों को वित्तीय लेनदार माने जाने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु यह अधिनियम 2018 में संशोधित किया गया। लेनदारों की समिति द्वारा कॉरपोरेट दिवालियापन की समाधान प्रक्रिया अवधि के संबंध में मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से 66 प्रतिशत करने के लिए आईबीसी, 2016 की धारा 12 को भी संशोधित किया गया। केंद्र सरकार को जनहित में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश देने का अधिकार है कि आईबीसी, 2016 के कोई भी प्रावधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लागू नहीं होंगे अथवा संशोधन के साथ उन पर लागू होंगे।

X.67 रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत डिजिटल लेन-देनों के लिए लोकपाल योजना, 2016 अधिसूचित किया है ताकि डिजिटल लेन-देनों से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु लोकपाल की व्यवस्था की जाए।

X.68 सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिक वैद्यता को बहुमत के साथ बरकरार रखा जो विशिष्ट सीमाओं के अधीन है।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

X.69 वर्ष 2019-20 में, विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों को विधिक मामलों में सलाह देना और मांगे जाने पर विशिष्ट विधिक अभिमत उपलब्ध कराना जारी रखेगा। विभाग, रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमा प्रबंधन के प्रयास और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालयीन सहायता प्रदान करना भी जारी रखेगा। वर्ष के दौरान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानकों के अनुरूप तथा मौजूदा प्रावधानों को स्पष्ट करने के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न अधिनियमों में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।